महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्री

डॉ. राजेश्वर सिंह
Dr. Rajeshwar Singh
सहायक कुलसचिव (परिसर विकास)
Assistant Registrar (Campus Development)

दूरभाष / Phone : +91-7152-232669
मोबाईल / Mob. : 09823499988
फैक्स / Fax : +91-7152-232669

क्रमांकः 34/2012-13/Shopping Complex/427
दिनांकः 06 . 12.2018

दुकान आबंटन हेतु सूचना

विश्वविद्यालय परिसर के नजीर हाट स्थित निम्नानुसार कुछ खाली दुकानों का आबंटन किया जाना है:-

क्रमांक	आबंटित की जाने वाली दुकानों का क्रमांक	जगह (वर्ग फीट)	न्यूनतम दर (प्रति वर्ग फिट)	टिप्पणी
01.	01	184.42	02.00	फोटो स्टेट एवं स्टेशनरी
02.	02	118.79	02.00	खादी वस्त्र एवं आयुर्वेदिक सामग्री विक्रय केंद्र
03.	03	118.79	02.00	हेयर कटिंग
04.	05	150.64	02.00	पुस्तक विक्रय केंद्र
05.	06	150.64	02.00	पुस्तक विक्रय केंद्र
06.	07	129.12	02.00	वस्त्रालय
07.	08	129.12	02.00	रेस्टोरेन्ट
08.	09	129.12	02.00	रेस्टोरेन्ट
09.	12	86.08	02.00	फल,सब्जी, दूध, अण्डा विक्रय केंद्र
10.	13	184.42	02.00	खाद्यान्न एवं घरेलू उपयोग की सामग्री

1. दुकानों हेतु आवेदन दिनांक 28.12.2018 (शुक्रवार) अपराह्न 05:00 बजे तक किया जा सकता है।
2. सीलबंद आवेदन कुलसचिव, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अथवा केंद्रीकृत डाक विभाग में कार्यालयीन दिवसों में ही स्वीकार्य होगा। लिफाफे पर ''दुकान हेतु आवेदन'' स्पष्ट लिखा हुआ हो।
3. आवेदन में जिस उद्देश्य के लिए दुकान चाहिए, उसका आवेदन में पूर्ण उल्लेख होना चाहिए।
4. दुकान का आबंटन प्रथमतः 02 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे दोनों पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर अधिकतम 05 वर्ष की अवधि (दो वर्ष बाद हर वर्ष 05% किराए में वृद्धि करते हुए) तक बढ़ाया जा सकता है।

कृ.प.उ.

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442 001 (महाराष्ट्र), भारत
Post Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha - 442 001 (Maharashtra), INDIA
वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org, **ई-मेल/E-mail :** campusdevelopment@hindivishwa.org

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. राजेश्वर सिंह
Dr. Rajeshwar Singh
सहायक कुलसचिव (परिसर विकास)
Assistant Registrar (Campus Development)

दूरभाष / Phone : +91-7152-232669
मोबाईल / Mob. : 09823499988
फैक्स / Fax : +91-7152-232669

5. दुकान हेतु बिजली विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए अलग से मीटर की व्यवस्था होगी। बिजली की दर Maharashtra State Electricity Distribution Co. LTD., की अधिकतम व्यावसायिक दर के अनुसार प्रतिमाह देय होगी।
6. पानी शुल्क दुकानों हेतु रु.50/- (पचास रुपये मात्र) प्रति माह की दर से देय होगा।
7. आबंटित दुकान अधिकतम सुबह 8:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समयानुसार खुला रखना होगा।
8. आबंटित दुकानों को भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार के श्रम कानूनों, बाल मजदूरी कानूनों, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम,वर्धा पुलिस के लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकान में नियुक्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन दुकान आबंटी द्वारा स्वयं सुनिश्चित करना होगा।
9. आबंटी व्यक्ति किसी अन्य को परिसर में दुकान का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। साथ ही, जिस उद्देश्य के लिए दुकान खोलने की अनुमति मांगी गई है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य परिवर्तन से पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
10. सुरक्षा राशि के रूप में आबंटन के समय आबंटी को 10 माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर की राशि विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में संबंधित सूचना प्राप्ति के 07 कार्यालयीन दिवसों के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. आबंटी को अपने Pan Card, Aadhar Card, की हस्ताक्षरित प्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है।
12. उक्त किसी भी शर्त में परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

06/12/18

(सहायक कुलसचिव)

प्रतिलिपि/सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. वित्ताधिकारी कार्यालय
5. जन सम्पर्क अधिकारी को, (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
6. संबंधित पत्रावली